



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233465
CG-DL-E-16022022-233465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 662]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का. आ. 681(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 130 से कि.मी.151 (डेपडूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "डैली उडान दिनांक 13-12-2021" को स्टेट टाइम्स दिनांक 24-12-2021 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 130 से कि.मी.151 (डेपूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रिटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: रामबाण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रामबन				
	गांव का नाम: डलवास डैनो (डलवास)				
1	1009	सरकारी	गै.मु. जंगल	0.0202	मकबूजा जंगल (1009)
2	915	सरकारी	गै.मु. झाड़ (जंगल)	0.0139	मकबूजा जंगल (915)
3	960	निजी	गै.मु. शैड	0.0025	मकबूजा: 1. करनवीर सिंह पुत्र राजकुमार 2. स्वामी राज पुत्र दीनानाथ (960)
4	962	निजी	बंजर कदीम	0.0038	मकबूजा: 1. कृष्ण चंद पुत्र इनेन्तु (962)
5	963	निजी	गै.मु. झाड़	0.0051	1. अशोक कुमार पुत्र चुन्नी लाल 2. रत्न लाल पुत्र चुन्नी लाल 3. जगदीश राज पुत्र चुन्नी लाल 4. विजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल 5. शान्ती देवी विधवा चुन्नी लाल (963)
6	964	निजी	गै.मु. शैड	0.0051	मकबूजा: मेहकमा देहात सुधार (ब्लॉक डिपार्टमेंट) (964)
7	965	निजी	गै.मु. झाड़	0.0986	मकबूजा: 1. अशोक कुमार पुत्र चुन्नी लाल 2. रत्न लाल पुत्र चुन्नी लाल 3. जगदीश राज पुत्र चुन्नी लाल 4. विजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल 5. शान्ती देवी विधवा चुन्नी लाल

					(965)
8	966	निजी	गै.मु. झाड़	0.0809	मकबूजा: बालकृष्ण पुत्र शिवसरन (966)
9	970	निजी	बंजर कदीम, गै.मु. झाड़, गै.मु. रोहरड	0.172	मकबूजा: 1. अशोक कुमार पुत्र चुन्नी लाल 2. रत्न लाल पुत्र चुन्नी लाल 3. जगदीश राज पुत्र चुन्नी लाल 4. विजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल 5. शान्ती देवी विधवा चुन्नी लाल (970)
10	975	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	0.4047	मकबूजा जंगल (975)
11	977	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	0.4856	मकबूजा जंगल (977)
12	979	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	0.2292	मकबूजा जंगल (979)
13	981	निजी	वहराल मंडी	0.1998	मकबूजा: हंसराज पुत्र तरिदुराम (981)
	गांव का नाम: रामबन				
14	823	सरकारी	गै.मु. झाड़	0.0506	मकबूजा सरकारी (823)
15	872	निजी	गै.मु. मकान	0.0177	मकबूजा 1. जरीना बेगम पुत्री अहादुल्लाह 2. रेहमतुल्ला पुत्र अहादुल्लाह 3. ताहिर अहमद पुत्र सायरा बानो 4. तब्बसुम इकबाल पुत्री मोहम्मद इकबाल (872)
			कुल	1.7897	

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 681(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said

notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44 on the stretch of land from Km. 130 to Km. 151 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Udaan dated 13-12-2021*” and “State Times” dated 24-12-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 130 to Km. 151 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: RAMBAN		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ramban				
	Village: Dhalwas Dhaino (Dhalwas)				
1	1009	Government	G.M. Forest	0.0202	Maqbooza Forest 1009
2	915	Government	G.M. Jhad (Forest)	0.0139	Maqbooza : Forest 915
3	960	Private	G.M. Shed	0.0025	Maqbooza: 1. Karanvir Singh S/o Rajkumar 2. Swami Raj S/o Dinanath 960
4	962	Private	Banjar Kadeem	0.0038	Maqbooza: 1. Krishan Chand S/o Inentu 962
5	963	Private	G.M. Jhad	0.0051	Maqbooza: 1. Ashok Kumar S/o Chunni Lal 2. Rattan Lal S/o Chunni Lal 3. Jagdish Raj S/o Chunni Lal 4. Vijay Kumar S/o Chunni Lal 5. Shanti Devi Widow Chunni Lal 963
6	964	Private	G.M. Shed	0.0051	Maqbooza: Mehkma Dehat Sudhaar (Block Department) 964
7	965	Private	G.M. Jhad	0.0986	Maqbooza: 1. Ashok Kumar S/o Chunni Lal 2. Rattan Lal S/o Chunni Lal 3. Jagdish Raj S/o Chunni Lal 4. Vijay Kumar S/o Chunni Lal 5. Shanti Devi Widow Chunni Lal 965

8	966	Private	G.M. Jhad	0.0809	Maqbooza Balkrishan S/o Shivsaran 966
9	970	Private	Banjar Kadeem, G.M. Jhad, G.M. Rohard	0.172	Maqbooza: 1. Ashok Kumar S/o Chunni Lal 2. Rattan Lal S/o Chunni Lal 3. Jagdish Raj S/o Chunni Lal 4. Vijay Kumar S/o Chunni Lal 5. Shanti Devi Widow Chunni Lal 970
10	975	Government	G.M. Jungle (Forest)	0.4047	Maqbooza Forest 975
11	977	Government	G.M. Jungle (Forest)	0.4856	Maqbooza Forest 977
12	979	Government	G.M. Jungle (Forest)	0.2292	Maqbooza Forest 979
13	981	Private	Whral Mandi	0.1998	Maqbooza: Hans Raj S/o Triduram 981
Village: Ramban					
14	823	Government	G.M. Jhad	0.0506	Maqbooza Govt. 823
15	872	Private	G.M. Makan	0.0177	Maqbooza 1. Zarena Begam D/o Ahadullh 2. Reham Tulla S/o Ahadullh 3. Tahir Ahmed S/o Saira Banoo 4. Tabsoom Iqbal D/o Mohmad Iqbal 872
			TOTAL	1.7897	

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3D]

RAJESH GUPTA, Director